

कार्यालय :- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सिवनी, जिला-सिवनी (म.प्र.)

क्रमांक- 69 / सी.जे.एम. / 2026
1

सिवनी, दिनांक 22 / 04 / 2026

:: आपराधिक कार्य विभाजन पत्रक वर्ष-2026 ::

मैं श्रीमती कला भम्मरकर, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सिवनी (म.प्र.) आपराधिक कार्य विभाजन पत्रक धारा 12 और 13 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी समस्त कार्य विभाजन आदेश को अधिष्ठित करते हुए निम्नलिखित आपराधिक कार्य विभाजन करती हूँ, जो दिनांक 22.04.2026 से लागू होकर आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा होगा :-

क्र0	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम	प्रकरणों का स्वरूप / क्षेत्राधिकार	रिमांक
1-	श्रीमति कला भम्मरकर, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सिवनी(म.प्र.)	1. पुलिस थाना कोतवाली सिवनी, थाना लखनवाड़ा एवं थाना यातायात सिवनी के अंतर्गत उद्भूत समस्त आपराधिक प्रकरण, (भारतीय रेल अधिनियम के अंतर्गत अपराध, धारा 144 से 147 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के प्रकरण, धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम, प्राइवेट परिवाद पत्र, मुस्लिम विधि के अंतर्गत एवं महिलाओं के विरुद्ध किए गए अपराधों से संबंधित, घरेलू हिंसा से संबंधित, प्राइवेट परिवाद, भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम के तथा ग्राम न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत प्रकरणों को छोड़कर)। 2. पुलिस थाना सिवनी एवं लखनवाड़ा से उद्भूत होने वाले खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत समस्त प्रकरण। 3. मुख्यालय सिविल जिला सिवनी के क्षेत्राधिकार से उद्भूत होने वाले सेन्ट्रल एक्साइज एक्ट से संबंधित उद्भूत समस्त प्रकरण। 4. मुख्यालय जिला सिवनी से उद्भूत होने वाले वन अपराध के तहत उद्भूत समस्त प्रकरण। 5. नगर पालिका परिषद सिवनी एवं बरध ाट द्वारा प्रस्तुत दांडिक प्रकरण एवं समस्त कार्यवाहियां। 6. खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम एवं नाप-तौल विभाग द्वारा प्रस्तुत दांडिक प्रकरण। 7. सिविल जिला सिवनी के क्षेत्राधिकार से उद्भूत होने वाले म.प्र. प्रदूषण बोर्ड द्वारा प्रस्तुत दांडिक प्रकरण। 8. आरक्षी केन्द्र सिवनी एवं लखनवाड़ा के क्षेत्राधिकार से उद्भूत एन.डी.पी.एस. एक्ट	



		(अल्प मात्रा) से संबंधित प्रकरण। 9. आरक्षी केन्द्र सिवनी एवं लखनवाड़ा से उद्भूत होने वाले आबकारी अधिनियम से संबंधित समस्त प्रकरण। 10. सिविल जिला सिवनी के समस्त थानों के धारा 343 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के अधीन अभियुक्तों के वायदा माफी के प्रकरण तथा दो वर्ष या इससे अधिक की पूर्व दोषसिद्धि वाले अभियुक्तों से संबंधित प्रकरण। 11. जिला मुख्यालय सिवनी के क्षेत्राधिकार अंतर्गत समस्त थानों से उद्भूत होने वाले खारिजी प्रतिवेदन (ई.आर.)। 12. थाना सिवनी एवं लखनवाड़ा थाने से उद्भूत होने वाले अंतिम प्रतिवेदन एवं खात्मा प्रकरण। 13. आबकारी विभाग मुख्यालय जिला सिवनी के वृत्त उत्तर, दक्षिण एवं शहर से उद्भूत समस्त प्रकरण। 14. सिविल जिला सिवनी के समस्त थानों से उद्भूत इण्डियन मेडिकल कौंसिल एक्ट 1996, मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम से संबंधित समस्त प्रकरण। 15. केन्द्रीय एवं श्रम विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रकरण (लेबर कोर्ट द्वारा विचारणीय मामलों को छोड़कर)। 16. ऐसे प्रकरण जिनका उल्लेख इस कार्य विभाजन पत्रक में नहीं है तथा न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा श्रवण योग्य है।	
2-	श्रीमति राखी देवलिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सिवनी (म.प्र.)	1. महिला थाना सिवनी, के क्षेत्राधिकार से उद्भूत होने वाले समस्त आपराधिक एवं प्राइवेट परिवाद से संबंधित प्रकरण। (कुटुम्ब न्यायालय एवं ग्राम न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत प्रकरणों को छोड़कर)। 2. पुलिस थाना सिवनी, कुरई, लखनवाड़ा, बरघाट, कान्हीवाड़ा, बण्डोल, डूण्डासिवनी, अरी से संबंधित महिलाओं के विरुद्ध कारित अपराध के मामलों में आपराधिक प्रकरणों एवं प्राइवेट परिवादों की समस्त कार्यवाहियां एवं अपराधों का संज्ञान एवं घरेलू हिंसा से संबंधित समस्त प्रकरण। 3. महिला थाना से संबंधित धारा 196(6) एवं धारा 196(2-6) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के अंतर्गत मृत्यु के कारणों की जांच। 4. महिला थाना से उद्भूत समस्त खात्मा प्रकरण। 5. ऐसे समस्त प्रकरण जो मुख्य न्यायिक	



		मजिस्ट्रेट द्वारा समय-समय पर सौंपे जाए।	
3-	श्रीमती अर्चना यादव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सिवनी (म.प्र.)	1. किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम 2015 की धारा 4) के अंतर्गत किशोर न्याय बोर्ड के प्रधान मजिस्ट्रेट के रूप में सिविल जिला सिवनी के समस्त थानों से उद्भूत विधि के विरुद्ध किशोर से संबंधित समस्त प्रकरण। 2. पुलिस थाना कुरई एवं डूण्डासिवनी के क्षेत्राधिकार से उद्भूत समस्त आपराधिक प्रकरण (महिलाओं के विरुद्ध अपराधों को छोड़कर), आवश्यक वस्तु अधिनियम, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, एन.डी.पी.एस. एक्ट (अल्प मात्रा) से संबंधित प्रकरण, आबकारी अधिनियम से संबंधित समस्त प्रकरण। 3. पुलिस थाना कुरई एवं डूण्डासिवनी से उद्भूत समस्त प्राइवेट परिवार प्रकरण, धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम के तहत प्रकरण तथा धारा 144 से 147 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (कुटुम्ब न्यायालय के क्षेत्राधिकार को छोड़कर) के प्रकरण। 4. पुलिस थाना कुरई एवं डूण्डासिवनी के समस्त खात्मा प्रकरण। 5. पुलिस थाना कुरई एवं डूण्डासिवनी से उत्पन्न धारा 25 भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 (Payment and settlement system Act 2007) से संबंधित परिवारों की समस्त कार्यवाही एवं अपराधों का संज्ञान। 6. पुलिस थाना कुरई एवं डूण्डासिवनी के क्षेत्राधिकार से उद्भूत होने वाले धारा 196 (6) एवं 196 (2-6) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के अंतर्गत मृत्यु के कारणों की जाँच। 7. मुख्यालय जिला सिवनी (खनिज विभाग द्वारा) समस्त थानों के भौगोलिक क्षेत्राधिकार से उद्भूत होने वाले खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) 1957 म.प्र. गौण खनिज अधिनियम 1952 से उत्पन्न समस्त प्रकरण, प्राइवेट परिवार की समस्त कार्यवाहियां एवं अपराधों का संज्ञान। 8. मुख्यालय सिवनी से संबंधित कृषि उपज मंडी अधिनियम के प्रकरण। 9. ऐसे समस्त प्रकरण जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय-समय पर सौंपे जाए।	
4-	सुश्री जसविता शुक्ला न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सिवनी (म.प्र.)	1. पुलिस थाना बरघाट के क्षेत्राधिकार से उद्भूत समस्त आपराधिक प्रकरण (महिलाओं के विरुद्ध अपराधों को छोड़कर), आवश्यक वस्तु अधिनियम, खाद्य	

		सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, एन.डी. पी.एस. एक्ट (अल्प मात्रा) से संबंधित प्रकरण, आबकारी अधिनियम से संबंधित समस्त प्रकरण। 2. पुलिस थाना बरघाट से उद्भूत समस्त प्राइवेट परिवार प्रकरण, धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम के तहत समस्त प्रकरण तथा धारा 144 से 147 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (कुटुम्ब न्यायालय के क्षेत्राधिकार को छोड़कर) के अंतर्गत प्रकरण। 3. पुलिस थाना बरघाट के समस्त खात्मा प्रकरण। 4. पुलिस थाना बरघाट से उत्पन्न धारा 25 भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 (Payment and settlement system Act 2007) से संबंधित परिवारों की समस्त कार्यवाही एवं अपराधों का संज्ञान। 5. पुलिस थाना बरघाट के क्षेत्राधिकार से उद्भूत होने वाले धारा 196 (6) एवं 196 (2-6) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के अंतर्गत मृत्यु के कारणों की जाँच। 6. ऐसे समस्त प्रकरण जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय-समय पर सौंपे जाए।	
5-	सुश्री दिव्यानी सिंह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सिवनी (म.प्र.)	1. पुलिस थाना बण्डोल के क्षेत्राधिकार से उद्भूत समस्त आपराधिक प्रकरण (महिलाओं के विरुद्ध अपराधों को छोड़कर), आवश्यक वस्तु अधिनियम, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, एन.डी. पी.एस. एक्ट (अल्प मात्रा) से संबंधित प्रकरण, आबकारी अधिनियम से संबंधित समस्त प्रकरण। 2. पुलिस थाना बण्डोल एवं सिवनी से उद्भूत समस्त प्राइवेट परिवार प्रकरण, धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम के तहत समस्त प्रकरण तथा धारा 144 से 147 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (कुटुम्ब न्यायालय के क्षेत्राधिकार को छोड़कर) के अंतर्गत प्रकरण। 3. पुलिस थाना बण्डोल के समस्त खात्मा प्रकरण। 4. पुलिस थाना बण्डोल एवं सिवनी से उत्पन्न धारा 25 भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 (Payment and settlement system Act 2007) से संबंधित परिवारों की समस्त कार्यवाही एवं अपराधों का संज्ञान। 5. पुलिस थाना बण्डोल एवं सिवनी के क्षेत्राधिकार से उद्भूत होने वाले धारा 196	



		(6) एवं 196 (2-6) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के अंतर्गत मृत्यु के कारणों की जाँच। 6. ऐसे समस्त प्रकरण जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय-समय पर सौंपे जाएँ।	
6-	श्री राहुल दीवान, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सिवनी (म.प्र.)	1. पुलिस थाना अरी के क्षेत्राधिकार से उद्भूत समस्त आपराधिक प्रकरण (महिलाओं के विरुद्ध अपराधों को छोड़कर), आवश्यक वस्तु अधिनियम, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, एन.डी. पी.एस. एक्ट (अल्प मात्रा) से संबंधित प्रकरण, आबकारी अधिनियम से संबंधित समस्त प्रकरण। 2. पुलिस थाना अरी से उद्भूत समस्त प्राइवेट परिवाद प्रकरण, धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम के तहत प्रकरण तथा 144 से 147 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (कुटुम्ब न्यायालय के क्षेत्राधिकार को छोड़कर) के प्रकरण। 3. पुलिस थाना अरी के समस्त खात्मा प्रकरण। 4. पुलिस थाना अरी से उत्पन्न धारा 25 भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 (Payment and settlement system Act 2007) से संबंधित परिवादों की समस्त कार्यवाही एवं अपराधों का संज्ञान। 5. पुलिस थाना अरी के क्षेत्राधिकार से उद्भूत होने वाले धारा 196 (6) एवं 196 (2-6) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के अंतर्गत मृत्यु के कारणों की जाँच। 6. ऐसे समस्त प्रकरण जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय-समय पर सौंपे जाएँ।	
7-	सुश्री श्वेता यादव न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सिवनी (म.प्र.)	1. पुलिस थाना कान्हीवाड़ा के क्षेत्राधिकार से उद्भूत समस्त आपराधिक प्रकरण (महिलाओं के विरुद्ध अपराधों को छोड़कर), आवश्यक वस्तु अधिनियम, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, एन.डी. पी.एस. एक्ट (अल्प मात्रा) से संबंधित प्रकरण, आबकारी अधिनियम से संबंधित समस्त प्रकरण। 2. थाना कान्हीवाड़ा एवं लखनवाड़ा से उद्भूत समस्त प्राइवेट परिवाद प्रकरण, धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम के तहत समस्त प्रकरण तथा धारा 144 से 147 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (कुटुम्ब न्यायालय के क्षेत्राधिकार को छोड़कर) के अंतर्गत प्रकरण। 3. थाना कान्हीवाड़ा के समस्त खात्मा	



		प्रकरण। 4. पुलिस थाना कान्हीवाड़ा एवं लखनवाड़ा से उत्पन्न धारा 25 भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 (Payment and settlement system Act 2007) से संबंधित परिवादों की समस्त कार्यवाही एवं अपराधों का संज्ञान। 5. पुलिस थाना कान्हीवाड़ा एवं लखनवाड़ा के क्षेत्राधिकार से उद्भूत होने वाले धारा 196 (6) एवं 196 (2-6) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के अंतर्गत मृत्यु के कारणों की जाँच। 6. ऐसे समस्त प्रकरण जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय-समय पर सौंपे जाएँ।	
8-	सुश्री उर्वशी सूर्यवंशी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सिवनी, जिला सिवनी (म.प्र.)	1. ऐसे समस्त प्रकरण जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय-समय पर सौंपे जाएँ।	
9-	सुश्री उर्वशी सूर्यवंशी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्रृंखला न्यायालय छपारा, जिला सिवनी (म.प्र.)	1. पुलिस थाना छपारा के क्षेत्राधिकार से उद्भूत होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण एवं समस्त प्राइवेट परिवाद पत्र तथा आबकारी अधिनियम, एन.आई. एक्ट, आवश्यक वस्तु अधिनियम, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, एन.डी. पी.एस. एक्ट (अल्प मात्रा) से संबंधित प्रकरण। 2. पुलिस थाना छपारा के समस्त खात्मा प्रकरण। 3. पुलिस थाना छपारा के क्षेत्राधिकार से उद्भूत धारा 144 से 147 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के आवेदन पत्रों पर कार्यवाही एवं धारा-25 भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 (Payment and settlement system Act 2007) से संबंधित परिवादों की समस्त कार्यवाही एवं अपराधों का संज्ञान। 4. पुलिस थाना छपारा से संबंधित धारा 196 (6) एवं 196 (2-6) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के अंतर्गत मृत्यु के कारणों की जाँच। 5. ऐसे समस्त प्रकरण जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय-समय पर सौंपे जाएँ।	
10-	सुश्री अपूर्वा ताम्रकार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी लखनादौन, जिला सिवनी(म.प्र.)	1. तहसील मुख्यालय लखनादौन के ग्राम न्यायालय से उद्भूत समस्त दांडिक प्रकरण। 2. पुलिस थाना लखनादौन के क्षेत्राधिकार से उद्भूत होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण, परिवाद पत्र एवं आबकारी अधिनियम, एन.आई. एक्ट, आवश्यक वस्तु अधिनियम, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, एन.डी.	



		पी.एस. एक्ट (अल्प मात्रा) से संबंधित प्रकरण (महिलाओं के विरुद्ध अपराधों को छोड़कर)। 3. थाना लखनादौन के समस्त खात्मा प्रकरण। 4. पुलिस थाना लखनादौन के क्षेत्राधिकार से उद्भूत धारा 144 से 147 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के आवेदन पत्रों पर कार्यवाही, एवं धारा-25 भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 (Payment and settlement system Act 2007) से संबंधित परिवारों की समस्त कार्यवाही एवं अपराधों का संज्ञान। 5. तहसील मुख्यालय लखनादौन से उद्भूत होने वाले वन अपराध के समस्त प्रकरण। 6. तहसील मुख्यालय लखनादौन एवं धनौरा के (खनिज विभाग द्वारा) समस्त थानों के भौगोलिक क्षेत्राधिकार से उद्भूत होने वाले खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) 1957 म.प्र. गौण खनिज अधिनियम 1952 से उत्पन्न समस्त प्रकरण। 7. पुलिस थाना लखनादौन से संबंधित धारा 196 (6) एवं 196 (2-6) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के अंतर्गत मृत्यु के कारणों की जाँच। 8. पुलिस थाना लखनादौन, छपारा, धनौरा एवं धूमा क्षेत्र से संबंधित खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, दुकान स्थापना अधिनियम के प्रकरण। 9. मुख्यालय लखनादौन के क्षेत्राधिकार से उद्भूत होने वाले आबकारी विभाग के एवं मेंटल हेल्थ से संबंधित मामले। 10. मुख्यालय लखनादौन से संबंधित कृषि उपज मंडी अधिनियम के समस्त प्रकरण। 11. ऐसे समस्त प्रकरण जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय-समय पर सौंपे जायें।	
11-	सुश्री नगीना मरावी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, लखनादौन जिला सिवनी (म.प्र.)	1. पुलिस थाना धनौरा के क्षेत्राधिकार से उद्भूत होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण, परिवार पत्र, आबकारी अधिनियम, एन.आई. एक्ट, आवश्यक वस्तु अधिनियम, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, एन.डी.पी.एस. एक्ट (अल्प मात्रा) से संबंधित प्रकरण (ग्राम न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं महिलाओं के विरुद्ध कारित अपराधों को छोड़कर)। 2. थाना धनौरा के समस्त खात्मा प्रकरण।	



		3. पुलिस थाना धनौरा से संबंधित धारा 144 से 147 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के आवेदन पत्रों पर कार्यवाही एवं धारा-25 भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 (Payment and settlement system Act 2007) से संबंधित परिवादों की समस्त कार्यवाही एवं अपराधों का संज्ञान। 4. पुलिस थाना धनौरा से संबंधित धारा 196 (6) एवं 196 (2-6) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के अंतर्गत मृत्यु के कारणों की जाँच। 5. ऐसे समस्त प्रकरण जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय-समय पर सौंपे जायें।	
12-	सुश्री रिशु भगत न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, लखनादौन जिला सिवनी (म.प्र.)	1. पुलिस थाना धूमा के क्षेत्राधिकार से उद्भूत होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण, परिवाद पत्र एवं आबकारी अधिनियम, एन.आई. एक्ट, आवश्यक वस्तु अधिनियम, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, एन.डी.पी.एस. एक्ट (अल्प मात्रा) से संबंधित प्रकरण (ग्राम न्यायालय के क्षेत्राधिकार को छोड़कर)। 2. पुलिस थाना लखनादौन, थाना धूमा, थाना धनौरा, थाना आदेगांव से संबंधित महिलाओं के विरुद्ध कारित अपराध के मामलों में आपराधिक प्रकरणों एवं प्राइवेट परिवादों की समस्त कार्यवाहियां एवं अपराधों का संज्ञान। 3. पुलिस थाना लखनादौन, थाना धूमा, थाना धनौरा, थाना आदेगांव के क्षेत्राधिकारों के अंतर्गत उद्भूत घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, से संबंधित मामले। 4. थाना धूमा के समस्त खात्मा प्रकरण। 5. पुलिस थाना धूमा के क्षेत्राधिकार से उद्भूत धारा 144 से 147 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के आवेदन पत्रों पर कार्यवाही, एवं धारा-25 भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 (Payment and settlement system Act 2007) से संबंधित परिवादों की समस्त कार्यवाही एवं अपराधों का संज्ञान। 6. पुलिस थाना धूमा से संबंधित धारा धारा 196 (6) एवं 196 (2-6) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के अंतर्गत मृत्यु के कारणों की जाँच। 7. ऐसे समस्त प्रकरण जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय-समय पर सौंपे जायें।	
13-	श्रीमती निरंजना योगेश मालवीय	1. पुलिस थाना आदेगाँव के क्षेत्राधिकार से उद्भूत होने वाले समस्त आपराधिक	



	न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, लखनादौन जिला सिवनी (म.प्र.)	प्रकरण, परिवाद पत्र एवं आबकारी अधिनियम, एन.आई. एक्ट, आवश्यक वस्तु अधिनियम, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, एन.डी.पी.एस. एक्ट (अल्प मात्रा) से संबंधित प्रकरण (ग्राम न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं महिलाओं के विरुद्ध कारित अपराधों को छोड़कर)। 2. थाना आदेगाँव के समस्त खात्मा प्रकरण। 3. पुलिस थाना आदेगाँव के क्षेत्राधिकार से उद्भूत धारा 144 से 147 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के आवेदन पत्रों पर कार्यवाही, एवं धारा-25 भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 (Payment and settlement system Act 2007) से संबंधित परिवारों की समस्त कार्यवाही एवं अपराधों का संज्ञान। 4. पुलिस थाना आदेगाँव से संबंधित धारा 196 (6) एवं 196 (2-6) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के अंतर्गत मृत्यु के कारणों की जाँच। 5. पुलिस थाना आदेगाँव क्षेत्र से संबंधित खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, दुकान स्थापना अधिनियम के प्रकरण। 6. ऐसे समस्त प्रकरण जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय-समय पर सौंपे जायें।	
14-	सुश्री पूर्णिमा सैयाम, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, घंसौर जिला सिवनी (म.प्र.)	1. पुलिस थाना घंसौर एवं किंदरई के क्षेत्राधिकार से उद्भूत होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण, प्राइवेट परिवाद पत्र एवं आबकारी अधिनियम, एन.आई. एक्ट, आवश्यक वस्तु अधिनियम, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, एन.डी.पी.एस. एक्ट (अल्प मात्रा) से संबंधित प्रकरण तथा धारा-144 से 147 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के आवेदन पत्रों पर कार्यवाही। 2. पुलिस थाना घंसौर एवं किंदरई के क्षेत्राधिकार से उद्भूत घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, से संबंधित प्रकरण। 3. थाना घंसौर एवं किंदरई के समस्त खात्मा प्रकरण। 4. मुख्यालय घंसौर, जिला सिवनी के आबकारी विभाग, वन विभाग एवं मेंटल हेल्थ से उत्पन्न प्रकरण। 5. पुलिस थाना घंसौर एवं किंदरई से संबंधित धारा 176 (5) एवं 176 (1-ए) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अंतर्गत मृत्यु के कारणों की जाँच। 6. पुलिस थाना घंसौर एवं किंदरई के	



		क्षेत्राधिकार से उद्भूत धारा-25 भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 (Payment and settlement system Act 2007) से संबंधित परिवादों की समस्त कार्यवाही एवं अपराधों का संज्ञान। 7. ऐसे समस्त प्रकरण जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय-समय पर सौंपे जायें।	
15-	श्री अजय कुमार अहिरवार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी केवलारी, जिला सिवनी (म.प्र.)	1. पुलिस थाना केवलारी एवं थाना उगली के क्षेत्राधिकार से उद्भूत होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण, परिवाद पत्र एवं आबकारी अधिनियम, एन.आई. एक्ट, आवश्यक वस्तु अधिनियम, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, एन.डी. पी.एस. एक्ट (अल्प मात्रा) से संबंधित प्रकरण तथा धारा-144 से 147 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के आवेदन पत्रों पर कार्यवाही। 2. पुलिस थाना केवलारी एवं उगली के क्षेत्राधिकार से उद्भूत घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, से संबंधित प्रकरण। 3. पुलिस थाना केवलारी एवं उगली के समस्त खात्मा प्रकरण। 4. मुख्यालय केवलारी, जिला सिवनी के आबकारी विभाग एवं मेंटल हेल्थ से उत्पन्न प्रकरण। 5. पुलिस थाना केवलारी एवं उगली से संबंधित धारा 176(5) एवं 176(1-ए) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अंतर्गत मृत्यु के कारणों की जाँच। 6. पुलिस थाना केवलारी एवं उगली के क्षेत्राधिकार से उद्भूत धारा-138 परकाम्य लिखत अधिनियम के परिवाद एवं धारा-25 भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 (Payment and settlement system Act 2007) से संबंधित परिवादों की समस्त कार्यवाही एवं अपराधों का संज्ञान। 7. ऐसे समस्त प्रकरण जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय-समय पर सौंपे जायें।	

नोट:-

- माननीय उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त किए गए विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट को जिन मामलों में सुनवाई का क्षेत्राधिकार दिया गया है, उन मामलों में यह कार्य विभाजन पत्रक प्रभावी नहीं होगा।
- समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट अपने क्षेत्राधिकारिता में चलित न्यायालय, माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अनुमति एवं पूर्व सूचना उपरांत आयोजित करेंगे।
- इस कार्य विभाजन आदेश के तहत जिन न्यायिक मजिस्ट्रेट को जो नये थाने आवंटित किये गये हैं उन थानों से संबंधित लंबित रिमाण्ड, सुपुर्दगी एवं अन्य पत्रावली अविलंब संबंधित नये क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय को भेजे जावें।



4. स्थानान्तरण की दशा में उत्तरवर्ती न्यायिक मजिस्ट्रेट को वे सभी शक्तियां प्राप्त होगी, जो उनके पूर्व अधिकारी को इस कार्य विभाजन के आदेश से प्राप्त है।
5. अवकाश, स्थानान्तरण एवं अनुपस्थिति इत्यादि की दशा में आवश्यक दाण्डिक कार्य, रिमाण्ड, जमानत, आवश्यक सुपुर्दनामा आदि प्रभारी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा संपादित किए जायेंगे, प्रभार के संबंध में सूची संलग्न है।
6. किसी भी कारण से किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट के अनुपस्थित रहने पर संलग्न सूची अनुसार प्रभारी न्यायिक मजिस्ट्रेट, संक्षिप्त न्यायिक प्रकरण में, जिसमें अभियुक्त अपराध स्वीकार करना चाहता है, के निराकरण में सक्षम रहेंगे।
7. किशोर न्याय बोर्ड के प्रधान मजिस्ट्रेट तथा सदस्यों एवं ग्राम न्यायालय के न्यायाधिकारी के अवकाश या अनुपलब्धता की दशा में किशोर न्याय बोर्ड एवं ग्राम न्यायालय का आवश्यक कार्य आपराधिक कार्य विभाजन में बताये गये प्रभारी न्यायिक अधिकारी द्वारा संपादित किया जावेगा।
8. लंबित आपराधिक प्रकरण इस आदेश से प्रभावित नहीं होंगे।
9. सार्वजनिक अवकाश के दिवसों में आवश्यक दाण्डिक कार्य निष्पादन करने के संबंध में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय-समय पर पृथक से आदेश प्रसारित किए जावेंगे।
10. आकस्मिक अवकाश की दशा में न्यायिक मजिस्ट्रेट की रिमाण्ड ड्यूटी में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा परिवर्तन किया जा सकेगा।
11. धारा 183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के तहत संस्वीकृतियां एवं कथन लेखबद्ध करने वाले प्रभारी न्यायिक मजिस्ट्रेट के अवकाश पर रहने पर कमशः द्वितीय प्रभारी एवं फिर पश्चात्वर्ती मजिस्ट्रेट के द्वारा कार्यवाही सम्पन्न की जावेगी।
12. जिला मुख्यालय सिवनी एवं तहसील मुख्यालय लखनादौन/घंसौर/केवलारी में जिन मजिस्ट्रेट का स्थानान्तरण हो चुका है और उनके स्थान पर किसी न्यायाधीश की पदस्थापना नहीं हुई है और वह न्यायालय रिक्त है तो प्रकरणों में उनसे संबंधित समस्त वारण्ट, अन्य विधिक कार्यवाहियां, अपील/निगरानी, माननीय अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय/आदेश का परिपालन संबंधी कार्यवाहियां संबंधित थान का क्षेत्राधिकार रखने वाले न्यायालय द्वारा कार्य संपादित की जावेगी।
13. ऐसे अपराधों से संबंधित विचारण योग्य प्रकरणों, जिनका उल्लेख इस कार्य विभाजन पत्रक में नहीं है, का विचारण संबंधित आरक्षी केन्द्र की क्षेत्राधिकारिता प्राप्त न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा किया जावेगा।
14. तहसील मुख्यालय लखनादौन में किसी ठोस कारण अथवा विशेष परिस्थितियों में समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेटों के अवकाश/अनुपस्थिति की दशा में तहसील मुख्यालय लखनादौन के मजिस्ट्रेट न्यायालयों का आवश्यक दाण्डिक कार्य, जिला मुख्यालय सिवनी में उपस्थित वरिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट (मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सिवनी को छोड़कर) द्वारा संपादित किया जावेगा।
15. आपराधिक कार्य विभाजन पत्रक के चार्ज प्रभार में उल्लिखित न्यायालय के प्रथम द्वितीय एवं तृतीय प्रभार, अर्थात् तीनों प्रभार के पीठासीन अधिकारियों के अवकाश पर होने अथवा किसी ठोस/पर्याप्त कारण से अनुपस्थिति की दशा में उस न्यायालय का आवश्यक दाण्डिक कार्य, जिला मुख्यालय सिवनी में उपस्थित वरिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट (मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को छोड़कर) द्वारा संपादित किया जावेगा।
16. कार्यालय माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय सिवनी के आदेश क्र. 288/दो-12-3/2010 सिवनी, दिनांक 11 जुलाई 2025 के तारतम्य में श्री राहुल दीवान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सिवनी, जिला मुख्यालय सिवनी में तथा सुश्री अपूर्वा ताम्रकार न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी लखनादौन, तहसील मुख्यालय लखनादौन में प्रस्तुत होने वाले फार्म का प्रमाणन/सत्यापन विधि अनुसार संपादित करेंगे, उक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सिवनी के अवकाश/अनुपस्थिति की दशा



(12)

में उक्त कार्य चार्ज प्रभार अनुसार प्रभारी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा संपादित किया जावेगा।

17. यह कार्य विभाजन पत्रक आगामी आदेश तक यथावत प्रभावशील रहेगा।

 22/04/26
(श्रीमती कला भम्मरकर)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सिवनी
जिला--सिवनी(म.प्र.)



—: परिशिष्ट-अ :—

न्यायिक दण्डाधिकारीगण निम्नानुसार धारा 183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के अधीन संस्वीकृतियाँ तथा कथन [परिशिष्ट "स" को छोड़कर] अभिलिखित करेंगे :—

क्र०	थाना का नाम	प्रथम प्रभार	द्वितीय प्रभार	तृतीय प्रभार
1	मुख्यालय सिवनी एवं मुख्यालय केवलारी के समस्त थानों के अजाक से संबंधित एवं थाना अजाक सिवनी	श्री राहुल दीवान JMFC Seoni	सुश्री जसविता शुक्ला JMFC Seoni	श्रीमती राखी देवलिया, JMFC Seoni
2	मुख्यालय सिवनी एवं मुख्यालय केवलारी के समस्त थाने के केवल पाक्सो से संबंधित	श्रीमती राखी देवलिया, JMFC Seoni	सुश्री श्वेता यादव, JMFC Seoni	सुश्री दिव्यानी सिंह JMFC Seoni
3	अरी, कुरई एवं सिवनी	सुश्री जसविता शुक्ला, JMFC Seoni	सुश्री दिव्यानी सिंह, JMFC Seoni	सुश्री श्वेता यादव, JMFC Seoni
4	बरघाट, केवलारी एवं लखनवाड़ा	सुश्री दिव्यानी सिंह, JMFC Seoni	श्री राहुल दीवान, JMFC Seoni	सुश्री उर्वशी सूर्यवंशी, JMFC Seoni
5	डूण्डासिवनी, कान्हीवाड़ा	सुश्री उर्वशी सूर्यवंशी, JMFC Seoni	सुश्री दिव्यानी सिंह, JMFC Seoni	सुश्री जसविता शुक्ला, JMFC Seoni
6	महिला थाना सिवनी, बण्डोल एवं उगली	सुश्री श्वेता यादव, JMFC Seoni	सुश्री जसविता शुक्ला, JMFC Seoni	श्री राहुल दीवान, JMFC Seoni
7	लखनादौन, छपारा एवं किंदरई	सुश्री नगीना मरावी JMFC Lakhnadon	सुश्री रिशु भगत JMFC Lakhnadon	श्रीमती निरंजना योगेश मालवीय JMFC Lakhnadon
8	धूमा एवं घंसौर	सुश्री अपूर्वा ताम्रकार, JMFC Lakhnadon	श्रीमती निरंजना योगेश मालवीय, JMFC Lakhnadon	सुश्री नगीना मरावी JMFC Lakhnadon
9	धनौरा एवं आदेगांव	सुश्री रिशु भगत, JMFC Lakhnadon	सुश्री अपूर्वा ताम्रकार JMFC Lakhnadon	-
10	मुख्यालय लखनादौन एवं मुख्यालय घंसौर के समस्त थाने के पाक्सो एवं अजाक से संबंधित	निरंजना योगेश मालवीय, JMFC Lakhnadon	सुश्री नगीना मरावी, JMFC Lakhnadon	सुश्री रिशु भगत JMFC Lakhnadon

नोट :- यदि किसी भी थाना के समक्ष दर्शित प्रभारी न्यायिक मजिस्ट्रेट में से कोई भी उपस्थित नहीं हो तो उसके पश्चात कॉलम में दर्शित थाना के समक्ष दर्शित न्यायिक मजिस्ट्रेट, (विचारण का क्षेत्राधिकार रखने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट को छोड़कर) के पास प्रभार रहेगा ।



22/04/26

(श्रीमती कला भस्मरकर)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सिवनी
जिला-सिवनी(म.प्र.)

// - परिशिष्ट-ब - //

स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 की धारा 52(क) की उपधारा 02 एवं उक्त अधिनियम के अंतर्गत जप्तशुदा सामग्री के नमूने लिये जाने/प्रेषण किये जाने हेतु न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा की जाने वाली कार्यवाही के संबंध में प्रस्तुत आवेदन के निराकरण हेतु निम्न न्यायिक मजिस्ट्रेट को आरक्षी केन्द्र का आबंटन निम्नानुसार किया जाता है:-

क्र०	थाना का नाम	प्रथम प्रभार	द्वितीय प्रभार	तृतीय प्रभार
1	कान्हीवाड़ा एवं बण्डोल	श्रीमति राखी देवलिया, JMFC Seoni	श्री राहुल दीवान, JMFC Seoni	सुश्री उर्वशी सूर्यवंशी, JMFC Seoni
2	उगली एवं अरी	सुश्री उर्वशी सूर्यवंशी, JMFC Seoni	सुश्री जसविता शुक्ला, JMFC Seoni	श्रीमति राखी देवलिया, JMFC Seoni
3	सिवनी	श्री राहुल दीवान, JMFC Seoni	सुश्री उर्वशी सूर्यवंशी, JMFC Seoni	सुश्री दिव्यानी सिंह, JMFC Seoni
4	लखनवाड़ा एवं डूण्डासिवनी	सुश्री जसविता शुक्ला JMFC Seoni	श्रीमती राखी देवलिया JMFC Seoni	सुश्री श्वेता यादव, JMFC Seoni
5	बरघाट, केवलारी	सुश्री दिव्यानी सिंह JMFC Seoni	सुश्री श्वेता यादव, JMFC Seoni	श्री राहुल दीवान, JMFC Seoni
6	कुरई	सुश्री श्वेता यादव JMFC Seoni	सुश्री दिव्यानी सिंह JMFC Seoni	सुश्री जसविता शुक्ला JMFC Seoni
7	लखनादौन	सुश्री नगीना मरावी JMFC Lakhnadon	सुश्री रिशु भगत JMFC Lakhnadon	श्रीमती निरंजना योगेश मालवीय JMFC Lakhnadon
8	धूमा एवं घंसौर	सुश्री अपूर्वा ताम्रकार, JMFC Lakhnadon	श्रीमती निरंजना योगेश मालवीय, JMFC Lakhnadon	सुश्री नगीना मरावी JMFC Lakhnadon
9	धनौरा एवं आदेगांव	सुश्री रिशु भगत, JMFC Lakhnadon	सुश्री अपूर्वा ताम्रकार JMFC Lakhnadon	-
10	छपारा एवं किंदरई	निरंजना योगेश मालवीय, JMFC Lakhnadon	सुश्री नगीना मरावी, JMFC Lakhnadon	सुश्री रिशु भगत JMFC Lakhnadon

नोट:- उपरोक्तानुसार अधिकृत मजिस्ट्रेट के अवकाश पर रहने की दशा में उनके प्रभार अनुसार मजिस्ट्रेट प्रस्तुत आवेदन का निराकरण करेंगे। उक्त अधिनियम के तहत प्रस्तुत आवेदन का निराकरण करने वाले प्रभारी मजिस्ट्रेट के पास यदि उन्हीं के क्षेत्राधिकार के आरक्षी केन्द्र के या उन्हीं की न्यायालय में विचारण योग्य मामले के संबंध में आवेदन पुनः पेश किया जाये तो क्रमशः अगले प्रभारी आवेदन का निराकरण करेंगे।


 22/04/26
 (श्रीमती कला भम्मरकर)
 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पिवनी
 जिला-सिवनी(म.प्र.)



::: परिशिष्ट- 'स' :::

मध्यप्रदेश राजपत्र प्राधिकार से प्रकाशित, क्रमांक-21, भोपाल, शुक्रवार दिनांक-26 मई 2023 के पालन में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का 2) की धारा 477 के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, एतद् द्वारा मध्यप्रदेश नियत तथा आदेश (आपराधिक) में निम्नलिखित संशोधन किया गया है-

उक्त नियत तथा आदेश में अध्याय चार में नियम 87 के स्थान पर निम्नलिखित नियम स्थापित किये गये। धारा 164 के अधीन (2) जहाँ कथन अभियोक्त्री का है, वहाँ वह दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 की उप-धारा (5-क) के अधीन विशेषतः महिला न्यायिक दण्डाधिकारी द्वारा अभिलिखित किया जाएगा।

उक्त आदेश के पालन में मैं श्रीमती कला भम्मरकर, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सिवनी, प्रशासनिक कार्य व्यवस्था की दृष्टि से धारा 183 (6) (क) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (पुरानी धारा 164 (5-क) दण्ड प्रक्रिया संहिता) के अधीन कथन "परिशिष्ट-अ" में उल्लिखित आरक्षी केन्द्रों के पीड़िता (महिला उत्पीड़न से संबंधित)" के कथन लेखबद्ध किए जाने हेतु निम्नानुसार "परिशिष्ट-स" समाविष्ट किया जाता है :-

// - परिशिष्ट-स - //

क्र०	आरक्षी केन्द्र	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम
1	2	3
1.	आरक्षी केन्द्र केवलारी एवं थाना अजाक सिवनी (अभियोक्त्री/पीड़िता के कथन)	श्रीमती राखी देवलिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सिवनी
2.	आरक्षी केन्द्र अरी एवं लखनवाड़ा, (अभियोक्त्री/पीड़िता के कथन)	सुश्री उर्वशी सूर्यवंशी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सिवनी
3.	आरक्षी केन्द्र सिवनी एवं कान्हीवाड़ा (अभियोक्त्री/पीड़िता के कथन)	सुश्री जसविता शुक्ला, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सिवनी
4.	आरक्षी केन्द्र महिला थाना सिवनी, कुरई एवं डूण्डासिवनी (अभियोक्त्री/पीड़िता के कथन)	सुश्री दिव्यानी सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सिवनी
5.	आरक्षी केन्द्र बरघाट, बण्डोल एवं उगली	सुश्री श्वेता यादव न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सिवनी

नोट:- 1. उपरोक्तानुसार जिला स्थापना सिवनी पर अधिकृत न्यायिक मजिस्ट्रेट के अवकाश पर रहने की दशा में धारा 183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के तहत कथन लिये जाने हेतु परिशिष्ट-स के कॉलम नंबर 3, सरल क्रमांक 1 से 6 में अंकित कमबद्धता अनुसार पदस्थ अधिकारी द्वारा कार्यवाही की जायेगी।

2. अभियोक्त्री/पीड़िता के कथन के अतिरिक्त अन्य साक्षियों के कथन परिशिष्ट- "अ" अनुसार लिये जावेंगे।


 22/04/26
 (श्रीमती कला भम्मरकर)
 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सिवनी
 जिला-सिवनी(म.प्र.)

[illegible]

क्र०	न्यायालय का नाम	प्रथम प्रभार	द्वितीय प्रभार	तृतीय प्रभार
12.	श्रीमती निरंजना योगेश मालवीय, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी लखनादौन, जिला सिवनी	सुश्री अपूर्वा ताम्रकार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, लखनादौन जिला सिवनी	सुश्री रिशु भगत, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, लखनादौन जिला सिवनी	सुश्री नगीना मरावी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, लखनादौन जिला सिवनी
13.	सुश्री पूर्णिमा सैयाम, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी घंसौर, जिला सिवनी	सुश्री अपूर्वा ताम्रकार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, लखनादौन जिला सिवनी	सुश्री रिशु भगत, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, लखनादौन जिला सिवनी	श्रीमती निरंजना योगेश मालवीय, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, लखनादौन जिला सिवनी
14.	श्री अजय कुमार अहिरवार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी केवलारी, जिला सिवनी	श्री राहुल दीवान, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सिवनी, जिला सिवनी(म.प्र.)	सुश्री जसविता शुक्ला, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सिवनी जिला सिवनी(म.प्र.)	सुश्री श्वेता यादव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सिवनी जिला सिवनी(म.प्र.)

अनुमोदित
22.4.2026

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जिला - सिवनी (म.प्र.)

22/04/26
(श्रीमती कला भम्मरकर)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सिवनी
जिला-सिवनी(म.प्र.)

पृ.क्र./ /सी.जे.एम./ 2026

सिवनी, दिनांक:-22/04/2026

प्रतिलिपि:- माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के अनुमोदन पश्चात्

1. निज सचिव, माननीय पोर्टफोलियो न्यायाधीपति महोदय (जिला सिवनी) म.प्र. की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।।
2. माननीय रजिस्ट्रार जनरल महोदय, उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, सिवनी की ओर सादर प्रेषित।
4. विशेष न्यायाधीश(एट्रोसिटीज) महोदय, सिवनी की ओर सादर प्रेषित।
5. प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ/अतिरिक्त जिला न्यायाधीश मुख्यालय सिवनी/लखनादौन की ओर सादर प्रेषित।
6. समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सिवनी/लखनादौन/घंसौर/केवलारी/शृंखला न्यायालय छपारा, जिला सिवनी म.प्र.।
7. प्रस्तुतकार, माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश जिला सिवनी म.प्र.।
8. कलेक्टर, जिला सिवनी म.प्र.।
9. पुलिस अधीक्षक, जिला सिवनी म.प्र. की ओर इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सिवनी जिले के समस्त थाना प्रभारी को सूचित करने का कष्ट करें।
10. जिला अभियोजन अधिकारी, जिला सिवनी म.प्र.।
11. वन मण्डलाधिकारी, जिला सिवनी म.प्र.।
12. जिला आबकारी अधिकारी, जिला सिवनी म.प्र.।
13. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, जिला सिवनी म.प्र.।

14. जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी, जिला सिवनी म.प्र.।
15. उप संचालक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला सिवनी म.प्र.।
16. श्रम अधिकारी, जिला सिवनी म.प्र.।
17. नियंत्रक/निरीक्षक नापतौल विभाग, जिला सिवनी म.प्र.।
18. अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ सिवनी/लखनादौन/घंसौर/केवलारी/श्रृंखला न्यायालय छपारा, जिला सिवनी म.प्र.।
19. सिस्टम ऑफिसर सर्वर रूम, जिला सिवनी म.प्र. को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त आदेश को जरिये ई-मेल संबंधित को प्रेषित करें।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।




 22/04/26
 (श्रीमती कला भम्भरकर)
 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सिवनी
 जिला सिवनी (म.प्र.)